भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

212

न्यायालय मा. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रमांक ।विविध ।2019-।शिवपुरी पुर्नस्थापन-750/2019/शिवपुरी/...

श्री ... द्वारा आज दि. 27-6-19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 1-7-19 नियत। 27-6-19 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुरारीलाल S/o सामलिया सहरिया आदिवासी नि. ग्राम-नौहरीकलां तह0/जिला-।शिवपुरी --- आवेदक

V/S

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर-।शिवपुरी

--- अनावेदक

विविध आवेदन पत्र धारा-8 एवं 32 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध सदस्य आदेश एस.एस. अली प्र.क्र.-336/19 आदेश दिनांक-12/4/19 को पारित

श्रीमानजी,

विविध आवेदन पत्र पत्र के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

(1) यह कि अपर कलेक्टर ।शिवपुरी के आदेश के विरुद्ध आयुक्त ग्वा. के अपील प्रस्तुत की के आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल मे उसकी अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार हुई

(2) यह कि सदस्य श्री एस.एल. अली के आदेश में पेज-2 की पहली लाइन मे कलेक्टर जबलपुर की जगह कलेक्टर शिवपुरी एवं तीसरी लाईन में आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की जगह आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर टाईपिंग त्रुटी होने के कारण संशोधित करने की कृपा करें।

... 01 ... 04 ... 1/7/19

निरन्तर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

देन

प्रकरण कमांक पुनर्स्थापन 750/2019/शिवपुरी/भू0रा0

मुरारीलाल विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–8–2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रंस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 8 एवं 32 के तहत प्रस्तुत किया है जिसमें मुख्य रूप से तर्क किया कि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। राजस्व मण्डल के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा 12–4–2019 को आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश में पृष्ठ 2 की पहली पंक्ति में कलेक्टर शिवपुरी की जगह कलेक्टर जबलपुर एवं तीसरी पंक्ति में आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के स्थान पर जबलपुर संभाग जबलपुर टाईप हो गया है अतः इस टाईपिंग त्रुटि को संशोधित किया जाये। इसके अतिरिक्त आवेदक अभिभाषक ने यह भी अनुरोध किया कि उक्त आदेश विकय की अनुमति हेतु दिनांक 12–7–2019 तक प्रभावी था जिसे तीन माह बढ़ाये जाये। 3/ अनावेदक शासकीय अभिभाषक ने तर्क किया कि विकय की अनुमति की अवधि पुनर्स्थापन आवेदन में नहीं बढ़ाई जा सकती। 4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले से संबंधित है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत मूल अपील प्रकरण कमांक शिवपुरी/भू0रा0/2019/336 में पारित आदेश दिनांक 12–4–2019 में पृष्ठ 2 की पहली पंक्ति में कलेक्टर शिवपुरी की जगह कलेक्टर जबलपुर एवं पृष्ठ 2 की तीसरी	

पंक्ति में आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के स्थान पर जबलपुर संभाग जबलपुर लिपिकीय त्रुटि से टंकित हो गया है। अतः मूल आदेश में पृष्ठ 2 की पहली पंक्ति में कलेक्टर जबलपुर की जगह कलेक्टर शिवपुरी एवं पृष्ठ 2 की तीसरी पंक्ति में आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के स्थान पर ग्वालियर संभाग ग्वालियर पढ़े जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जहां तक आवेदक के विकय अनुमति की समय–सीमा बढ़ाये जाने के तर्क का प्रश्न है म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 में राजस्व न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस धारा में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये या न्यायालय की प्रकिया के दुरूपयोग के निवारण के लिये आवश्यक होने पर ही आदेश देने की राजस्व न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित किया गया है और उसे अन्यथा प्रभावित करने की अधिकार प्रदान नहीं करती है। इसी प्रकार संहिता की धारा 8 में मण्डल को अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं परन्तु इस पुनर्स्थापन आवेदन में इन दोनों धाराओं का उपयोग कर आवेदक को विकय की अनुमति की समय–सीमा को बढ़ाये जाने के आदेश दिया जाना उचित नहीं पाता हूँ। जहां विधि में विशिष्ट प्रावधान दिये गये हो तब धारा 32 एवं धारा 8 का प्रयोग किया जाना विधि वर्जित होता है। आवेदक चाहे तो विधि में उपबंधित धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फलस्वरूप आवेदक अभिभाषक यह अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।

5/ उपरोक्तानुसार आवेदक के आवेदन का निराकरण किया जाता है। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग होगी। पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(जे0के0 जैन)
सदस्य